

# उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक:- 526 /3-3(5)/2023-24/

दिनांक- 09 फरवरी, 2024

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक (क्रियान्वयन अभिकरण)

विषय :-

कैम्पा की वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्ययोजना (APO) के अंतर्गत आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा द्वारा प्राप्त स्वीकृति व उत्तराखण्ड शासन से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लेखाशीर्षक 2406-04-103-03-01 "क्षतिपूरक वनीकरण", लेखाशीर्षक 2406-04-103-03-02 "कैट प्लान" एवं लेखाशीर्षक 2406-04-103-03-04 "निवल वर्तमान मूल्य" (एनपीवी) के अंतर्गत कुल ₹770.27 लाख का बजट अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन कार्यालय के माध्यम से निम्न पत्रों द्वारा संबंधित प्रभागों को आवंटित किया गया है:-

वित्त नियंत्रक/अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा आवंटित बजट व पत्रांक	संबन्धित मानक मदों में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का प्रभागवार आवंटन															
पत्रांक नि0/1116, 1117, 1118/3-5 दिनांक 07 फरवरी, 2024 के माध्यम से वन विभाग के अनुदान सं0 27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार धनराशि का आवंटन किया गया है:-	● आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण संलग्नक अनुसार (संलग्नक-1, 2, 3)															
<table border="1"><thead><tr><th>लेखाशीर्षक/मानक मद</th><th>मानक मद</th><th>धनराशि (लाख ₹ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2406-04-103-03-01 (42-विभागीय व्यय)</td><td>क्षतिपूरक वनीकरण</td><td>141.25</td></tr><tr><td>2406-04-103-03-02 (42-विभागीय व्यय)</td><td>कैट प्लान</td><td>74.33</td></tr><tr><td>2406-04-103-03-04 (42-विभागीय व्यय)</td><td>वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य</td><td>554.69</td></tr><tr><td colspan="2">कुल योग</td><td>770.27</td></tr></tbody></table>	लेखाशीर्षक/मानक मद	मानक मद	धनराशि (लाख ₹ में)	2406-04-103-03-01 (42-विभागीय व्यय)	क्षतिपूरक वनीकरण	141.25	2406-04-103-03-02 (42-विभागीय व्यय)	कैट प्लान	74.33	2406-04-103-03-04 (42-विभागीय व्यय)	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	554.69	कुल योग		770.27	बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड <a href="http://www.ukcampa.org.in">www.ukcampa.org.in</a> पर fund released section में अपलोड है।
लेखाशीर्षक/मानक मद	मानक मद	धनराशि (लाख ₹ में)														
2406-04-103-03-01 (42-विभागीय व्यय)	क्षतिपूरक वनीकरण	141.25														
2406-04-103-03-02 (42-विभागीय व्यय)	कैट प्लान	74.33														
2406-04-103-03-04 (42-विभागीय व्यय)	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	554.69														
कुल योग		770.27														

कैम्पा की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2023-24 के अंतर्गत "क्षतिपूरक वनीकरण", "कैट प्लान" एवं "निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) के अन्तर्गत किये जाने वाली विभिन्न गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु आवंटित धनराशि एवं मानक मदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि तदनुसार कैम्पा के मानकों के अनुरूप गतिविधियों को पूर्ण करते हुए प्रगति की ससमय MIS प्रविष्टि पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार आवंटित की गई धनराशि के उपयोग के संबंध में निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें:-



एन.पी.वी. के अन्तर्गत नर्सरी अनुरक्षण मद में नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को बेमुण्डा नर्सरी में 150000 पौध उगान हेतु ₹ 20.10 लाख की धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की गयी है कि प्रभाग द्वारा जिस योजना में उक्त पौध का उपयोग किया जायेगा उस योजना में उतनी ही पौध पृथक से तैयार की जायेगी, जिससे कि पौध का backup/cycle तैयार हो सके।

नियम एवं शर्तें:-

राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा पत्रांक-NA-15/2020-NA दिनांक 03.07.2023 द्वारा जारी मुख्य दिशा निर्देशों के क्रम में निम्न निर्देश दिये जा रहे हैं:-

- "The approved activities shall be carried out as per Rule-4 of the Compensatory Afforestation Fund (CAF) Rules, 2018 i.e. as per the provisions of the State Financial Rules or any such rules applicable from time to time in the State."
- All the records of CAMPA activities including amount sanctioned and expenditure incurred should be maintained at division level since its inception. The records should be properly maintained at Range and Division level.
- "Local and indigenous species, especially fruit and fodder species should be given preference in afforestation/regeneration to be carried out; monoculture and planting of exotic species should be avoided."
- As per directions of National Authority, Government of India, photographs, KML files, plantation maps etc. of achievements under approved activities are to be uploaded on websites maintained by the State authorities. Divisions must upload relevant & good quality photographs on CAMPA MIS where required. At least one of the photographs for each activity must have been taken before start of work and at least one after completion of work.

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक-1476/X-2-2023-12(07)2021 दिनांक 28.07.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देश:-

- The Compensatory Afforestation Fund Rules 2018 का अनुपालन करते हुये यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अवमुक्त धनराशि का व्यय करते समय कैम्पा के नियम/अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 14.12.2021 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- कार्य हेतु वित्त विभाग से शासनादेश सं0-245/XXVII(07)/2012 दिनांक 22.11.2012 के अनुसार सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- बिना प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
- निर्माण कार्य हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आंगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/111469/9(150)2019/xxviii(1)2023 दिनांक 31.03.2023 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों एवं अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।



**अन्य शर्तें:-**

1. कार्यो का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
2. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए-

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे ;

और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति, के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006(2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

3. सभी स्थलीय कार्यो (Field Activities) की ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।
4. समस्त कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यो के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।
5. कार्यो के संपादन हेतु समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्वोरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
7. संपादित किये जाने वाले कार्यो में श्रम विभाग द्वारा समय समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
9. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न कराये जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
10. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
11. प्रस्तावित कार्यो का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक-आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।

12. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंगत विवरण अंकित हो।
13. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।  
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(जी०एस० पाण्डे)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 526 /3-3(5)/2023-24/ दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन एवं कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य वन संरक्षक, ईको-टूरिज्म, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण, अकादमी, हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

संलग्नक: यथोपरि।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 526 /3-3(5)/2023-24/ दिनांकित

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा।



**CA**

संलग्नक-1

Name of Division	Plantation Maintenance - CA	
	Allotment	
	Phy (ha.)	Fin (in lakh)
1	5	6
GARHWAL DIVISION	218.82	67.48
LANSDOWNE DIVISION	21.00	2.46
UPPER YAMUNA DIVISION	232.26	19.19
CHAKRATA DIVISION	389.88	33.43
TONS DIVISION	320.00	18.69
<b>All Total Plantation Maintenance - CA</b>	<b>1181.96</b>	<b>141.25</b>



Chief Executive Officer  
Uttarakhand CAMPA



कैट प्लान

लखवाड जल विद्युत परियोजना वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्ययोजना

(Amount ₹ in lakh)

क्र०सं०	प्रभाग का नाम	वास्तवित ए०पी०ओ०	पूर्व आवंटन	वर्तमान में आवंटित धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मसूरी वन प्रभाग	1093.55	547.07	74.33	भौतिक लक्ष्य संलग्नक-2क
2	चकराता वन प्रभाग	635.08	312.23	0.00	
3	अपर यमुना बड़कोट	287.05	138.12	0.00	
		<b>2015.68</b>	<b>997.42</b>	<b>74.33</b>	



Chief Executive Officer  
Uttarakhand CAMPA

## लखवाड़ जल विद्युत परियोजना (कैट-प्लान) के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

प्रभाग का नाम :- मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(धनराशि ₹ लाख में)											
घटक, सहघटक, उपघटक, कार्यमद	कोड संख्या	घटक, सहघटक, उपघटक एवं कार्यमद	भौतिक	इकाई	दर	वित्तीय लक्ष्य	पूर्व में आवंटित धनराशि	आवंटित धनराशि	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 लोकेशन तथा के0एम0एल0 फाईल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
घटक	3	जलागम कार्य का फेज									
	3.1.1.3	बहुदेशीय प्रजातियों का वनीकरण अग्रिम मृदा कार्य	10	है०	82004	8.20	4.10	4.10	भुटगॉव सूक्ष्म जलागम	30°34'55.09"	078°01'10.11
			12	है०	82004	9.84	4.92	4.92	नकोट सूक्ष्म जलागम	30°34'53.26"	078°3'17.60
			20	है०	82004	16.40	8.20	8.20	जयद्वार सूक्ष्म जलागम	30°32'46.27"	077°59'6.17
			10	है०	82004	8.20	4.10	4.10	घुच्चूगाड सूक्ष्म जलागम	30°31'06.12"	078°16'46.67
			11	है०	82004	9.02	4.51	4.51	मैड सूक्ष्म जलागम	30°29'58.09"	078°10'33.51
			11	है०	82004	9.02	4.51	4.51	बेलगर सूक्ष्म जलागम	30°29'10.23"	078°9'14.57
			12	है०	82004	9.84	4.92	4.92	जोखनीगाड सूक्ष्म जलागम	30°28'7.73"	078°13'5.28
			16	है०	82004	13.12	6.56	6.56	ड्यूलीगाड सूक्ष्म जलागम	30°27'17.84"	078°13'44.32
			5	है०	82004	4.10	2.05	2.05	तुनेटा सूक्ष्म जलागम	30°28'54.26"	078°4'56.65
			9	है०	82004	7.38	3.69	3.69	पाली सूक्ष्म जलागम	30°29'51.81"	077°57'54.32
			6	है०	82004	4.92	2.46	2.46	रिंगालीगाड सूक्ष्म जलागम	30°29'51.97"	078°1'24.07
			43	है०	82004	35.26	17.63	17.63	दीवानगढ सूक्ष्म जलागम	30°30'45.19"	078°2'23.61
			11	है०	82004	9.02	4.51	4.51	खरसूगाड सूक्ष्म जलागम	30°28'51.63"	077°58'42.50
			25	है०	82004	20.50	10.25	2.17	बिच्छूगाड सूक्ष्म जलागम	30°30'46.82"	078°4'40.63
			30	है०	82004	24.60	12.30	0.00	पालीगाड सूक्ष्म जलागम	30°33'9.54"	078°12'6.45
			42	है०	82004	34.44	17.22	0.00	क्यारीगाड सूक्ष्म जलागम	30°31'11.43"	078°8'27.32
		योग	273.00			223.86	111.93	74.33			

Chief Executive Officer  
Uttarakhand CAMPA



## NPV Activities

(Amount ₹ in lakh)

Name of Division	Nursery Maintenance		Assisted Natural Regeneration (A.N.R)		Pasture Development Maintenance in VP's		Maintenance of plantation in VP's		Training workshops and capacity building		Soil and Moisture conservation works under SMC		Printing / Publicity / Extension and Awareness		Forest Landscape Restoration (FLR)		Total Allotment (NPV)
	Allotment		Allotment		Allotment		Allotment		Allotment		Allotment		Allotment		Allotment		
	Phy(Nos.)	Fin	Phy(ha.)	Fin	Phy(ha.)	Fin	Phy(ha.)	Fin	Phy(Nos)	Fin	Phy(Nos)	Fin	Phy(LS)	Fin	Phy(Nos.)	Fin	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Allotment</b>		34.10		11.57		3.54		5.31		5.00		430.57		14.60		50.00	554.69
NAINITAL DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
RAMNAGAR SC DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
RANIKHET SC DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00	As per DTR submitted vide Letter no. 551 dated 24.01.24 (3 DTR)	88.29					88.29
NAINITAL SC DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
<b>Total in SOUTH KUMAON CIRCLE</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3	88.29	0	0.00	0	0.00	88.29
TARAI EAST DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
TARAI WEST DIVISION	250000 plants Maint. (Bannakheda Nur.)	14.00								0.00							14.00
TARAI CENTRAL DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
HALDWANI DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
RAMNAGAR DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00	0	0.00					0.00
<b>Total in WESTERN CIRCLE</b>	250000	14.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14.00
<b>Total KUMAON</b>	250000	14.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3	88.29	0	0.00	0	0.00	102.29
UTTARKASHI SC DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
UTTARKASHI DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
TEHRI DAM1 DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
TEHRI DAM2 DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
NARENDRA NAGAR DIVISION	150000 plants	20.10								0.00							20.10
TEHRI DIVISION		0.00	35 ha. vide their letter no. 683/3-2 dated 08.09.2023	11.57				0.00		0.00	As per DTR submitted vide Letter no. 1484 dated 22.01.24 (10 DTR)	273.41					284.98
<b>Total in BHAGIRATHI CIRCLE</b>	150000	20.10	35.00	11.57	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	10	273.41	0	0.00	0	0.00	305.08
LANSDOWNE SC DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
KALSII SC DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00							0.00
LANSDOWNE DIVISION		0.00		0.00				0.00		0.00	As per DTR submitted vide Letter no. 2611 dated 24.01.24 (2 DTR)	68.87					68.87



Name of Division	Nursery Maintenance		Assisted Natural Regeneration (A.N.R)		Pasture Development Maintenance in VP's		Maintenance of plantation in VP's		Training workshops and capacity building		Soil and Moisture conservation works under SMC		Printing / Publicity / Extension and Awareness		Forest Landscape Restoration (FLR)		Total Allotment (NPV)
	Allotment		Allotment		Allotment		Allotment		Allotment		Allotment		Allotment		Allotment		
	Phy(Nos.)	Fin	Phy(ha.)	Fin	Phy(ha.)	Fin	Phy(ha.)	Fin	Phy(Nos)	Fin	Phy(Nos)	Fin	Phy(LS)	Fin	Phy(Nos.)	Fin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HARIDWAR DIVISION		0.00		0.00			0	0.00	0	0.00					As per proposal submitted	50.00	50.00
DEHRADUN DIVISION		0.00		0.00			0	0.00	0	0.00							0.00
Total in SHIVALIK CIRCLE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2	68.87	0	0.00	0	50.00	118.87
UPPER YAMUNA DIVISION		0.00		0.00			0	0.00	0	0.00							0.00
CHAKRATA DIVISION		0.00		0.00	35.00	3.54	55.00	5.31	0	0.00							8.85
MUSSOORIE DIVISION		0.00		0.00			0	0.00	0	0.00							0.00
TONS DIVISION		0.00		0.00			0	0.00	0	0.00							0.00
Total in YAMUNA CIRCLE	0	0.00	0	0.00	35	3.54	55.00	5.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8.85
Total GARHWAL	150000	20.10	35.00	11.57	35	3.54	55.00	5.31	0	0.00	12	342.28	0	0.00	0	50.00	432.80
CCF FORESTRY TRAINING ACADEMY									Hiring of Bus	5.00							5.00
CCF, Eco Tourism													As per letter no. 218 dated 28.12.23	14.60			14.60
CEO CAMPA				0.00													0.00
Total OTHERS	0	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0	5.00	0	0.00	0	14.60	0	0.00	19.60
All Total	400000	34.10	35.00	11.57	35.00	3.54	55.00	5.31	0	5.00	15	430.57	0	14.60	0	50.00	554.69

एन.पी.वी. के अन्तर्गत नर्सरी अनुसंधान मद में नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को बेमुण्डा नर्सरी में 150000 पौध उगान हेतु ₹ 20.10 लाख की धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की गयी है कि प्रभाग द्वारा जिस योजना में उक्त पौध का उपयोग किया जायेगा उस योजना में उतनी ही पौध पृथक से तैयार की जायेगी, जिससे कि पौध का backup/ cycle तैयार हो सके।

Chief Executive Officer  
Uttarakhand CAMPA